

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 221/18

गौरव शर्मा पुत्र देवेन्द्र शर्मा आयु 19 वर्ष निवासी
ग्राम बगुलरी थाना गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

---आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

---अनावेदक

21-06-2018

आवेदक/अभियुक्त गौरव शर्मा की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 147/18 अंतर्गत धारा 327, 323, 294 व 506 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

आवेदक की ओर से यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 का अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत कर घोषित किया गया है कि यह आवेदक का अग्रिम जमानत हेतु प्रथम आवेदन पत्र है इसके अतिरिक्त कोई अन्य आवेदन किसी न्यायालय में प्रस्तुत, लंबित या निराकृत नहीं किया गया, इस संबंध में एवं अधिवक्ता नियुक्ति के संबंध में बनवारीलाल शर्मा पुत्र रामशंकर शर्मा आयु 36 वर्ष निवासी ग्राम बगुलरी परगना गोहद जिला भिण्ड, जो कि आवेदक का चाचा है, ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदकगण की ओर से अधि. श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद ने आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध किया है, जबकि आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक ने शराब पीने के लिये रूपयों की मांग नहीं की है। आवेदक को यदि गिरफ्तार किया गया तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी। आवेदक निर्दोष है। आवेदक स्थानीय निवासी है तथा अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेगा एवं साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने घटना के पश्चात से आवेदक/अभियुक्त को फरार हो जाने व अनुसंधान में सहयोग नहीं किये जाने एवं अपराध की प्रकृति गंभीर होने के आधार पर अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे पाया जाता है कि अभियोजन अनुसार

दिनांक 08.06.18 को सुबह 8:30 बजे फरियादी जाकिर खान अपने घर से मालनपुर बुआ के यहां जा रहा था। जैसे ही वह बस स्टेण्ड गोहद पर आया तो मोटरसाईकिल क्रमांक जी.जे. 26 एफ 2117 से तीन लोग गौरव शर्मा, सौरव शर्मा व देवेन्द्र शर्मा मिले और उसे मादरचोद-बहनचोद की गालियां देकर बोले कि शराब पीने के लिये रुपये दो, नहीं देगा तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। जब फरियादी ने रुपये नहीं दिये तो अभियुक्तगण द्वारा उसकी थप्पड़ों से मारपीट कर दी गई।

उक्त के संबंध में फरियादी जाकिर खान द्वारा रिपोर्ट करने पर पुलिस थाना गोहद में अभियुक्तगण के विरुद्ध उनके नाम से अपराध क्रमांक 147/18 पर धारा 327, 323, 294, 506, 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा उक्त अपराध में आवेदक/अभियुक्त गौरव को घटना के पश्चात् से निरंतर फरार होना व अनुसंधान में सहयोग नहीं किया जाना बताया गया है एवं विवेचना के अनुक्रम में संकलित साक्ष्य के आधार पर आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित है। अतएव अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार करते समय प्रकरण के गुणदोषों पर कोई टिप्पणी किए बिना केस डायरी के परिशीलन से इन परिस्थितियों में वर्तमान प्रकरण इस स्वरूप का नहीं है कि, आवेदक के पक्ष में अग्रिम प्रतिभूति प्रदान किए जाने संबंधी असाधारण क्षेत्राधिकार का लाभ दिया जाये।

अतः उपरोक्तानुसार मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से उसकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी जावे।
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद